रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2009/अग्रहायण 18, 1931

No. 700] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2009/AGRAHAYANA 18, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 875(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर । जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 930(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 52(अ), तारीख 29 जनवरी, 1991
2. सा.का.नि. 46(अ), तारीख 31 जनवरी, 1994
3. सा.का.नि. 660(अ), तारीख 21 सितम्बर, 1995
4. सा.का.नि. 528(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998
5. सा.का.नि. 842(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2000
6. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007 ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989 namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989 in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 930(E), dated the 26th October, 1989 and subsequently amended *vide* notifications No. :

1. G.S.R. 52(E) dated the 29th January, 1991
2. G.S.R. 46(E) dated the 31st January, 1994
3. G.S.R. 660(E) dated the 21st September, 1995
4. G.S.R. 528(E) dated the 27th August, 1998
5. G.S.R. 842(E) dated the 31st October, 2000
6. G.S.R. 672(E) dated the 18th October, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 876(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1015(अ), तारीख 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 424(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988
2. सा.का.नि. 1046(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989
3. सा.का.नि. 729(अ), तारीख 19 अगस्त, 1992
4. सा.का.नि. 45(अ), तारीख 31 जनवरी, 1994
5. सा.का.नि. 207(अ), तारीख 22 मार्च, 2001
6. सा.का.नि. 674(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 876 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

'2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.'

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and the subsequently amended *vide* notifications No. :

1. G.S.R. 424(E) dated the 4th April, 1988
2. G. S.R. 1046(E) dated the 13th December, 1989
3. G.S.R. 729(E) dated the 9th August, 1995
4. G.S.R. 45(E) dated the 31st January, 1994
5. G.S.R. 207(E) dated the 22nd March, 2001
6. G.S.R. 674(E) dated the 18th October, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 877(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1092(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 424(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988
2. सा.का.नि. 1049(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989
3. सा.का.नि. 520(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1996
4. सा.का.नि. 86(अ), तारीख 3 फरवरी, 2000
5. सा.का.नि. 320(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2000
6. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 8 फरवरी, 2001
7. सा.का.नि. 671(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 877(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Karnataka Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Karnataka Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Karnataka Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1092(E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended *vide* notifications No.:

1. G.S.R. 424(E) dated the 4th April, 1988
2. G. S.R. 1049(E) dated the 13th December, 1989
3. G.S.R. 520(E) dated the 13th November, 1996
4. G.S.R. 86(E) dated the 3rd February, 2000
5. G.S.R. 320(E) dated the 6th April, 2000
6. G.S.R. 78(E) dated the 8th February, 2001.
7. G.S.R. 671(E) dated the 18th October, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 878(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1253(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 16(अ), तारीख 10 जनवरी, 1989
2. सा.का.नि. 1048(अ), तारीख 13 जनवरी, 1989
3. सा.का.नि. 743(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 1994
4. सा.का.नि. 699(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1995
5. सा.का.नि. 471(अ), तारीख 4 अगस्त, 1998
6. सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002
7. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 28 अगस्त, 2002 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 878 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules,

1986, in sub-rule (2), for the words "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]
C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government Employees' Pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1253(E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended *vide* notifications No. :

1. G.S.R. 16(E), dated the 10th January, 1989
2. G.S.R. 1048(E), dated the 13th December, 1989
3. G.S.R. 743(E), dated the 7th October, 1994
4. G.S.R. 699(E), dated the 26th October, 1995
5. G.S.R. 471(E), dated the 4th August, 1998
6. G.S.R. 485(E), dated the 9th July, 2002
7. G.S.R. 610(E), dated the 28th August, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 879(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]
सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1157(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 71(अ), तारीख 30 जनवरी, 1992
2. सा.का.नि. 288(अ), तारीख 1 मार्च, 1994
3. सा.का.नि. 565(अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998
4. सा.का.नि. 898(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2000
5. सा.का.नि. 569(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 879 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowanees and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]
C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

4501 GI/09-2

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government Employees' Pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Maharashtra Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1157(E), dated the 21st October, 1986 and subsequently amended *vide* notifications No. :

1. G.S.R. 71(E), dated the 30th January, 1992
2. G. S.R. 288(E), dated the 1st March, 1994
3. G.S.R. 565(E), dated the 8th September, 1998
4. G.S.R. 898(E), dated the 24th November, 2000
5. G.S.R. 569(E), dated the 18th October, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 880(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 को 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ), तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 423(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988
2. सा.का.नि. 32(अ), तारीख 24 जनवरी, 1990
3. सा.का.नि. 500(अ), तारीख 7 जून, 1994
4. सा.का.नि. 564(अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998
5. सा.का.नि. 289(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2002
6. सा.का.नि. 670(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 880 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Orissa Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government Employees' Pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Orissa Administrative Tribunal who

were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Orissa Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 644(E), dated the 10th August, 1985 and subsequently amended *vide* notifications No.:

1. G.S.R. 423(E), dated the 4th April, 1988
2. G. S.R. 32(E), dated the 24 January, 1990
3. G.S.R. 500(E), dated the 7th June, 1994
4. G.S.R. 564(E), dated the 8th September, 1998
5. G.S.R. 289(E), dated the 18th April, 2002
6. G.S.R. 670(E), dated the 18th October, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 881(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर 1 जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009-एटी]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय गया है । तदनुसार तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756(अ), तारीख 29 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 1047(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989
2. सा.का.नि. 47(अ), तारीख 13 जनवरी, 1994
3. सा.का.नि. 746(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 1998
4. सा.का.नि. 302(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2001
5. सा.का.नि. 933(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 881 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1988 in sub-rule (2), for the words "rupees four thousand seven hundred and sixty per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F.No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-

Chairmen and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Tamil Nadu Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 756(E), dated the 29th June, 1988 and subsequently amended *vide* notifications No.:

1. G.S.R. 1047(E), dated the 13th December, 1989
2. G. S.R. 47(E). dated the 31st January, 1994
3. G.S.R. 746(E), dated the 16th December, 1998
4. G.S.R. 302(E), dated the 27th April, 2001
5. G.S.R. 933(E), dated the 27th April, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 882(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त हुए पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

2. पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के उप-नियम (2) में, "सात हजार चौहत्तर रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर । जनवरी, 2006 से "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11014/8/2009 -एटी]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है । तदनुसार पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 875(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 587(अ), तारीख 5 जुलाई, 2000
2. सा.का.नि. 673(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2009

G.S.R. 882 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of the sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the West Bengal Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994 in sub-rule (2), for the words "rupees seven thousand seventy four per annum", the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum" shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2006.

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :

With a view to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission regarding Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the West Bengal Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1994 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2006.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the West Bengal Administrative Tribunal is likely to be affected by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 875(E), dated the 21st December, 1994 and subsequently amended *vide* notifications No.:

1. G.S.R. 587(E), dated the 5th July, 2000
2. G. S.R. 673(E), dated the 18th October, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.